फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 54 /2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/07/25	पत्रावली प्रार्थी स्वंय द्वारा पेश किया गया। प्रकरण अ0धा0 136 एल.आर.ए. दर्ज किया गया तथा पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम छोकरवाडा तह0 सिकराय जिला दौसा का रहने वाला है प्रार्थी का वास्तविक नाम रामचन्द्र गुर्जर है। प्रार्थी का आधार कार्ड नम्बर 919084917848 में भी प्रार्थी का नाम रामचन्द्र गुर्जर तथा सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम रामचन्द्र है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम "चन्दर" पुत्र रेवड दर्ज कर रखा है जो कि गलत जिसका शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि जमाबंदी खाता संख्या 73, 74 में प्रार्थी का नाम चन्दर पुत्र रेवड दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से जमाबंदी में चन्दर के स्थान पर रामचन्द्र किया जाना उचित है। पत्रावली के साथ ग्राम पंचायत छोकरवाडा का पत्र भी संलग्न है जिसका अवलोकन किया गया। उक्त सभी दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चन्दर के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। निर्णय मेरे द्वारा आज को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	